राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण सख्या :— 11/2022
निर्णय दिनांक :— 30/9/2022

प्रार्थीया :—

नर्बदा पत्नि भंवरलाल चौधरी उम्र—38वर्ष जाति—चौधरी
निवासी—बांता हाल कोट सोलंकियान, तहसील—देसूरी जिला—पाली

बनाम

अप्रार्थी :—

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, देसूरी

—:प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अभिघृति अधिनियम 1955 :—

उपस्थिति:—

1. श्री मुकेश कुमार श्रीमाली अधिवक्ता प्रार्थीया की ओर से।
2. श्री कैलाश ईणानिया तहसीलदार देसूरी सरकारी पैरोकार।

निर्णय **दिनांक :— 30/9/2022**

1— प्रार्थीया द्वारा अन्तर्गत राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए की उपधारा (1) के अधीन अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये नया रास्ता लेने हेतु प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत किया गया है।

2— प्रार्थीया ने अपने आवेदन के साथ पटवार हल्का ग्राम—कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 498 क्षेत्रफल 0.3800 हेक्टर किस्म बारानी दोयम जमाबंदी सम्वत् 2073—76, नक्शा ट्रेस, प्रस्तुत कर प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि पटवार हल्का ग्राम कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 498 क्षेत्रफल 0.3800 हेक्टर किस्म बारानी दोयम में आने जाने के लिए (रास्ते की भूमि) 20 फीट चौडा एवं पूरी लम्बाई में (जिसका जितना क्षेत्रफल बने) रास्ते हेतु नक्शे में हरी स्याही से दर्शित अनुसार राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 495 रकबा 3.03 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी में से जाने हेतु 20 फीट चौडे रास्ते की मांग की गई है।

3— प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया। अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी से जांच रिपोर्ट भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2022/383 दिनांक [illegible].5.2022 को लिखा गया। तहसीलदार देसूरी से दिनांक 27.07.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

4—अप्रार्थी (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी के द्वारा उनके पत्रांक/राजस्व/2022/1258 दिनांक 27.07.2022 के जरिये पटवार हल्का कोट सोलंकियान व भू0अ0नि0 मगरतलाव से प्रस्तावित रास्ते की मौका जांच कराई जाकर मौका फर्द, नक्शा ट्रेस, के प्रस्तावित रास्ते की अनुशंषा के साथ जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में ग्राम कोट सोलंकियान की खातेदारी कृषि भूमि में खसरा नम्बर 498 क्षेत्रफल 0.3800 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आवगमन के लिए पडौस स्थित राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी मे से रास्ते की मांग की है।
2. प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त खसरा नम्बर 498 में आने—जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया की खातेदारी में आने—जाने हेतु निकटतम रास्ता खसरा नम्बर 1856/495 में से दिया जाना उचित है।
3. प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर में से 161 मीटर लम्बा एवं 6.09 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 161 x 6.09 = 980.49 वर्गमीटर बनता है, जो दिया जाना उचित है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि पंजीयन बाजार दर 180401/— रूपये प्रति हेक्टर है। उक्त दर से प्रभावित रास्ते का रकबा 980.49 वर्गमीटर की राशि रूपये 17700/— बनती है जिसकी डबल राशि रूपये 35400/— बनती है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीयां अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया। अप्रार्थी की ओर (भूमिधारी) तहसीलदार देसूरी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाहिर किया कि प्रार्थी की खातेदारी में आने जाने के लिये अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीया को खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर मे से उत्तर—पूर्वी माठ के सहारे—सहारे 161 मीटर लम्बा एवं 6.09 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 161 x 6.09 = 980.49 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है।

6— न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड एवं तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रार्थीया की खातेदारी में आने जाने के लिये एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर में से ही हैं। अतः न्यायालय की राय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत प्रस्तुत स्वीकार किया जाना उचित है।

7— तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट मय नक्शा, मौका फर्द, एवं पत्रावली को अवलोकन करने पर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि मौजा ग्राम कोट सोलंकियान खसरा नम्बर 498 कुल रकबा 0.3800 हेक्टर किस्म बारानी दोयम भूमि में आने जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर किस्म गै0मु0 मगरी में से उत्तर—पूर्वी माठ के सहारे—सहारे 161 मीटर लम्बा एवं 6.09 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल 161 x 6.09 = 980.49 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित है। इस हेतु प्रार्थी को 35400/— रूपये का अनुदान भुगतान जरिये चालान के राजकोष में जमा करना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:38:43 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 03 पर....

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

क्रमश (3) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 11/2022 अनवान नर्बदा बनाम राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार अन्तर्गत धारा 251ए राज. अभिधृति अधिनियम.

आदेश

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 251ए स्वीकार किया जाकर तहसीलदार देसूरी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीया से 161 मीटर लम्बा एवं 6.09 मीटर चौडा जिसका कुल क्षेत्रफल **161 x 6.09** = 980.49 वर्गमीटर रास्ते के परिपेक्ष्य में डी.एल.सी. दर अनुसार प्रस्तावित रास्ते की राशि अनुदान रूपये 35400/– प्रार्थीया से जरिये चालान के राजकोष में जमा करवाई जाकर। प्रार्थीया को खातेदारी भूमि ग्राम कोट सोलंकियान के खसरा नम्बर 498 कुल रकबा 0.3800 हेक्टर भूमि किस्म बारानी दोयम में आने–जाने हेतु राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1856/495 रकबा 2.23 हेक्टर में से उत्तर–पूर्वी माठ के सहारे–सहारे 161 मीटर लम्बा एवं 6.09 मीटर चौडा कुल क्षेत्रफल **161 x 6.09** = 980.49 वर्गमीटर का रास्ता दिया जाकर एवं राशि राजकोष में जमा होने के बाद ही रास्ते का समस्त रिकॉर्ड में अमल दरामद, नक्शे में तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से कम हो।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 30/9/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) **देसूरी** (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:33:43 IST
Reason: SelfAttested